41–(08)–53–2018

पटना में दिनांक–24 अगस्त, 2018 शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

आपदा प्रबंधन विभाग

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा–14 एवं 78 (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा की शर्त्तें तथा परामर्शदातृ समिति के सदस्यों की भत्तों की संदाय) (संशोधन) नियमावली 2008 समय–समय पर यथा संशोधित, में संशोधन की स्वीकृति। — 1. **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

3. बिहार सड़क सुरक्षा कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु लीड एजेन्सी के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति। — 3. **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

4. परिवहन विभाग के अन्तर्गत प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पदों के सृजन के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

5. परिवहन विभाग अन्तर्गत मोटरयान निरीक्षकों के अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

6. पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2019–20 तक के लिये प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की राशि को विभाग द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि को संबंधित वित्तीय वर्ष के बजट में उपबंधित राशि से राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरियों के बीच वितरित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

7. पंचायती राज विभाग की योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन ईकाई के गठन के लिए कुल 460 (चार सौ साठ) पदों के सृजन एवं चयन तथा दो वर्षों के लिए कुल ₹400884000.00 (चालीस करोड़ आठ लाख चौरासी हजार) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति। — 7. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

8. भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मुख्यालय स्तर पर गैर योजना मद में कुल ₹1,93,36,044/–(एक करोड़ तिरानवे लाख छत्तीस हजार चौवालिस रूपये) मात्र अनुमानित वार्षिक व्यय पर एक (01) संरचना प्रमंडल के गठन सहित आवश्यक कुल 32 पदों का सृजन। 8. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

9. श्री सुनील कुमार, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। 9. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

10. बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2018 के गठन के संबंध में। 10. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

11. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No.-13744/14 में दिनांक–30.10.2017 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2743 दिनांक–27.06.2014 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्का० निरीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर को संसूचित सेवा से बर्खास्त के दण्ड को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः बहाल करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। 11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. लखीसराय जिलान्तर्गत अंचल–हलसी, मौजा–हलसी, थाना नं०–147 के विभिन्न खाता एवं खेसरा (भूमि परिशिष्ट–I) का कुल रकबा–6.70 एकड़ भूमि, किस्म–राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, कृषि विभाग की भूमि को स्टेडियम निर्माण हेतु कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क हस्तान्तरण करने के संबंध में। 12. स्वीकृत।

विधि विभाग

13. राज्य की न्याय व्यवस्था के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु न्यायिक क्षमता के विस्तार मद में कुल–11,50,00,000/– (ग्यारह करोड़ पचास लाख) रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। 13. स्वीकृत।

विधि विभाग

14. राज्य के न्यायिक क्षमता के विस्तार के तहत अनुसंधानकर्त्ताओं (Investigating Officers) को प्रशिक्षण एवं पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु कुल 6,00,00,000/–(छः करोड़) रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति के संबंध में। 14. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

15. बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभान्वितों को अनुदान /छात्रवृत्ति इत्यादि की राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ने की अंतिम तिथि–30.06.2018 से बढ़ाकर इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतिम न्याय निर्णय होने के उपरांत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि तक विस्तारित करने के संबंध में। 15. **स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक में प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में मो० 20.00 लाख (बीस लाख) रूपये मूल्य के कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की इस योजना "मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना" हेतु केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम से एन०सी०डी०सी० अंश राशि 75% ऋण एवं 25% अनुदान मद को रूपांतरित कर 50% ऋण मद में मो० 8,46,30.00 लाख (आठ अरब छियालीस करोड़ तीस लाख) रूपये 25% एल०डी०/यू०डी० अनुदान मद में मो० 4,23,15.00 लाख (चार अरब तेईस करोड़ पन्द्रह लाख) रूपये तथा 25% एल०डी०/यू०डी० के अतिरिक्त अनुदान मद में मो० 4,23,15.00 लाख (चार अरब तेईस करोड़ पन्द्रह लाख) कुल मो० 169260.00 लाख (सोलह अरब बेरानवे करोड़ साठ लाख) रूपये की स्वीकृति के संबंध में। 16. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

17. राज्य में राज्य स्तर पर गठित राज्य अपीलीय प्राधिकार के लिए कुल 16 पद एवं जिला स्तर पर गठित जिला अपीलीय प्राधिकार के लिए कुल 76 पद अर्थात कुल 92 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 17. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

18. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में स्थापित होने वाले L-II स्तरीय ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु विभिन्न कोटि के आवश्यक कुल 123 (एक सौ तेइस) पदों के सृजन की स्वीकृति।

18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर C.W.J.C No.-11848/2016 ललन राम एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, C.W.J.C No.-20517/2016 राकेश कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, C.W.J.C No.-11905/2017 श्री भगवान सिंह एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य, में दिनांक–11.09.2017 को पारित न्यायादेश, समादेश याचिका संख्या– 4592/2017 सुधीर प्रसाद बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–02.04.2018 को पारित न्यायादेश, समादेश याचिका संख्या–5632/2017 शिवचन्द्र राय एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक– 05.04.2018 को पारित न्यायादेश, समादेश याचिका संख्या–1484/2018 बाबुधन राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–09.02.2018 को पारित न्यायादेश एवं समादेश याचिका संख्या–3128/2018 राम प्रताप राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–12.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में यक्ष्मा कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक–01.09.2005 के बाद नियुक्त याचिकाकर्त्ताओं को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने एवं संबंधित पदों पर हुई प्रथम नियुक्ति की तिथि से वैचारिक लाभ की स्वीकृति साथ ही समादेश याचिका संख्या–3128/2018 के क्रमांक–03 पर अंकित याचिकाकर्त्ता श्रीमती सुमित्रा देवी के पति–स्व० राम बहादुर राय को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति के संबंध में।

19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

20. एम०जे०के० अस्पताल (सदर अस्पताल), बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को उपयुक्त मानव संसाधन एवं उपलब्ध सभी आधारभूत संरचना तथा अन्य संसाधनों सहित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया में समाहित करने की स्वीकृति।

20. स्वीकृत।

कृषि विभाग

21. राज्य के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 4221.175 लाख (बेयालिस करोड़ इक्कीस लाख सतरह हजार पाँच सौ) रूपये की योजना की कार्यान्वयन की स्वीकृति का प्रस्ताव है। — 21. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी विभाग)

22. Nationwide Emergency Response System (NERS) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु C-DAC से प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त राशि ₹12,29,60,000(बारह करोड़ उनतीस लाख साठ हजार रू०) मात्र का नये उपशीर्ष अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। — 22. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

23. श्री संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित को सी०डब्लू०जे०सी० सं०–18674/15 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उनके द्वारा समर्पित बचाव वयान स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति। — 23. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

24. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल ₹4275.41 लाख (बेयालीस करोड़ पचहत्तर लाख इकतालीस हजार रूपये) सहाय्य अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

25. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विश्व बैंक सम्पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत संचालित ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (नीर निर्मल परियोजना) के द्वितीय बैच में नालंदा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिलाव बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना (फेज–II) के निर्माण तथा पाँच वर्षो के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु कुल रू० 46.30 करोड़ (छियालीस करोड़ तीस लाख रूपये) {(Disign & Build Cost रू० 42.10 करोड़ (ब्यालीस करोड़ दस लाख रूपये) तथा O & M for five Years- रू० 4.20 करोड़ (चार करोड़ बीस लाख रूपये)} की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति। — 25. स्वीकृत।

वित्त विभाग

26. समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय के अंतर्गत सांख्यिकी सहायक पद के लिए दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर–7 की स्वीकृति के संबंध में। — 26. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

28. श्री शंकर प्रसाद, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरूराज, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को सेवा से बर्खास्तगी के समतुल्य शत–प्रतिशत पेंशन एवं उपादान की कटौती करने तथा निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई लाभ देय नहीं होने की शास्ति के स्वीकृति के संबंध में। — 28. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

29. स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन। — 29. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

30. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम–4, 2011) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या–1423 दिनांक–19.05.2011 (समय समय पर यथा संशोधित) तथा अधिसूचना संख्या–19431 दिनांक–23.12.2013 द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट–1 के क्रमांक–27 में समाज कल्याण विभाग के अधीन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना को नयी सेवा के रूप में समावेशित करने तथा क्रमांक 28 में स्वास्थ्य विभाग के अधीन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत कन्या शिशु के सम्पूर्ण टीकाकरण योजना का नयी सेवा के रूप में समावेशित करने के संबंध में। — 30. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

32. हरोहर नदी के त्रिमुहान से रहुआटोला तक एवं मुहाने नदी के त्रिमुहान से दोगछिया तक उड़ाही कार्य का पुनरीक्षित योजना (पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 2014.708 लाख) (बीस करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार आठ सौ रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 32. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

33. "बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली, 2018" के गठन के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी नियमावली –प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। 33. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

35. नालन्दा जिलान्तर्गत सिलाव अंचल के मौजा–कुल, थाना सं०–425, खाता सं०–204, खेसरा सं०–15 का कुल रकबा–0.0247 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–82 के फोर लेन निर्माण (गया– हिसुआ– राजगीर– बिहारशरीफ) हेतु सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में। 35. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

36. श्री अशोक कुमार खरे, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, सम्प्रति पुनर्नियुक्ति के आधार पर कार्यरत की पुनर्नियुक्ति अवधि को दिनांक–15.08.2019 (67 वर्ष की आयु) तक विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में। 36. **स्वीकृत।**